JALAUN POLICE

दिनांक- 04 .02.2026

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 03.02.2026 को आवेदिका द्वारा थाना रामपुरा पर प्रार्थना पत्र दिया गया था। कि उसकी नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी है। जिसमें तहरीर के आधार पर तत्काल थाना रामपुरा में अन्तर्गत धारा 70(1),351(3),127(3),61(1)BNS व 5G/6 पॉस्को एक्ट व 3(2)5 sc/st act बनाम 1- भूपेंद्र पुत्र रविंद्र 2- दानिश पुत्र एहसान खान 3- दीपू पुत्र गोविन्द समस्त निवासीगण ग्राम जगम्मनपुर थाना रामपुरा जनपद जालौन के पंजीकृत किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुये तत्काल विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

अभियोग के विवेचक क्षेत्राधिकारी माधौगढ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर माननीय न्यायालय के समक्ष अभिकथन अंकित कराया गया है। निरीक्षण घटनास्थल, बयान पीड़िता व विवेचना के क्रम में पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर समस्त तीनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

नाम पता अभियुक्तगण-

1- भूपेंद्र पुत्र रविंद्र उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम जगम्मनपुर थाना रामपुरा जनपद जालौन

2- दानिश पुत्र एहसान खान उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम जगम्मनपुर थाना रामपुरा जनपद जालौन

3- दीपू पुत्र गोविन्द उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम जगम्मनपुर थाना रामपुरा जनपद जालौन